न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस डी ओ)सिणधरी

[illegible]

[illegible] 2023

प्रार्थीनी

बनाम

विप्रार्थीगण

[illegible] पुत्री [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला बाड़मेर

1 [illegible]
2 [illegible] पुत्री [illegible]
3 ओमप्रकाश पुत्र [illegible]
4 [illegible] पुत्र [illegible]
5 [illegible] पुत्र गुणेशाराम
6 [illegible] पुत्र गुणेशाराम
7 बंशीलाल पुत्र [illegible]
8 बाबूलाल पुत्र हीराराम
9 भरेन्द्र कुमार पुत्र गुणेशाराम
10 भवरलाल पुत्र गुणेशाराम जाति [illegible] निवासी धूरियावास, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1 श्री भवरलाल सारण अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।

2 पैरोकार सरकार उप। शेष विप्रार्थीगण–एकतरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:42 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनाक– 11.01

1 संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा धूरियावास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर मे खसरा नम्बर 1170 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 6 4154 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1173 रकबा 6.7632 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1502/1171 रकबा 3.2603

उपखण्ड अधिकारी

हैक्टयर तथा राजस्व ग्राम पनोणिया का तला के खेत खसरा संख्या 1320 रकबा 30.0058 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 10 रिकार्डड सहखातेदार है, कि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम जड़ावदेवी के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व की भूलवंश से गीगीदेवी गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर गीगीदेवी के स्थान पर जड़ावदेवी दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्राथीनीं का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। जो विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया मौजा धूरियावास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1170 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 6.4154 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1173 रकबा 6.7632 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1502/1171 रकबा 3.2603 हैक्टयर तथा राजस्व ग्राम पनोणिया का तला के खेत खसरा संख्या 1320 रकबा 30.0058 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 10 रिकार्डड सहखातेदार है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जड़ावदेवी के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व की भूलवंश से गीगीदेवी गलत नाम दर्ज हो रखा है। जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सिणधरी ने अपने मौखिक कथनों में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गीगीदेवी न होकर जड़ावदेवी है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज गीगीदेवी के स्थान पर जड़ावदेवी दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया [illegible] मौजा [illegible]यावास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में ख[illegible] [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 6.4154 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1173 रकबा 6.7632 हैक्टे[illegible] खसरा नम्बर 1502/1171 रकबा 3.2603 हैक्टयर तथा राजस्व ग्राम पनोणिया का तला के खेत खसरा संख्या 1320 रकबा 30.0058 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रिकार्डड सहखातेदार है, कि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम जड़ावदेवी के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व की भूलवंश से गीगीदेवी गलत नाम दर्ज हो रखा है, क्योंकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जड़ावदेवी है। इससे साबित होता है कि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम गीगीदेवी न होकर जड़ावदेवी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिसकी प्रार्थीनी दोषी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीनी सही नाम जड़ावदेवी करवानें की हकदार है। इसी प्रकार पैरोकार सरकार ने अपने मौखिक अभिकथनों में भी स्वीकार किया है कि प्रार्थीनी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जड़ावदेवी है। एवं पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड प्रति, पैन कार्ड प्रति, परिवार राशन कार्ड बैंक पास बुक प्रति में प्रार्थी का नाम जड़ावदेवी अंकित है, एवं विवादित भूमि के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 2 से 10 को कोई उजर–ऐतराज नहीं है यदि एतराज होता तो उन्हें जारी नोटिस पर उपस्थित होकर अपनी मत प्रकृट करते। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थीनी का विवादित भूमि में गलत नाम गीगीदेवी इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्राथीर्नी का वास्तविक नाम जड़ावेदेवी है। जो प्रार्थीनी विवादित भूमि में गीगीदेवी के स्थान पर जड़ावदेवी दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा धूरियावास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1170 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 6.4154 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1173 रकबा 6.7632 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1502/1171 रकबा 3.2603 हैक्टयर तथा राजस्व ग्राम पनोणिया का तला के खेत खसरा संख्या 1320 रकबा 30.0058 हैक्टेयर **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि गीगीदेवी के स्थान पर जड़ावदेवी दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। [illegible] तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।